

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़  
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 64 / 2021

मुमताज खां सलीम खां जाति कायमखानी, निवासी गांगियासर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू।  
-अपीलार्थी

-बनाम-

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बिसाऊ, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू।
2. मूर्ति मन्दिर रायमाता गांगियासर समिति जरिये सदस्य कृष्ण कुमार जानू, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू।

- रेस्पोंडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ  
उनवानी सरकार बनाम मुमताज खां अंधारा 91 एल0आर0एक्ट 1956  
मु0न0 47 / 2021 निर्णय दिनांक 16.08.2021


उपस्थिति:-

1. श्री आबिद एम खान, एडवोकेट -----अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट-----रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री सुरेन्द्र भाम्बू, एडवोकेट-----रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

-निर्णय-


दिनांक 29.09.2021

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 16.08.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मुमताज खां मु0न0 47 / 2021 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि- हल्का पटवारी राजस्व ग्राम गांगियासर ने झुठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 5 हैक्टर भूमि किस्म मूर्तिमन्दिर रायमाता पर 100 मीटर भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने की झुठी रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर अ,धारा 91 राज0 भू-राजस्व के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट द्वारा पेश जबाब में यह स्पष्ट किया कि अपीलान्ट का





विवादित भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 5 हैक्टर पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। वरन अपीलान्ट का खोखा ग्राम गांगियासर कि आवासीय भूमि खसरा नम्बर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर पर अवस्थित है। अपीलान्ट ने उक्त खोखा 1995 से पूर्व का मौके पर रखा हुआ है। चूंकि भूमि खसरा नम्बर 399/943 का रकबा 0.81 हैक्टर भूमि का राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से दर्ज होने के कारण अपीलान्ट के विरुद्ध हलका पटवारी ने गलत रूप से झुठी रिपोर्ट पेश की। जिस पर अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अ. आदेश 7 नियम 11 जा. दी. व धारा 151 जा. दी. का प्रस्तुत कर यह आपत्ति ली कि भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 5.00 हैक्टर भूमि किस्म मूर्तिमन्दिर रायमाता सिवायचक के रूप में दर्ज होने के कारण अदालत मातहत को इस प्रकरण को सुनने का अधिकार नहीं है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट द्वारा उठाई गई कानूनी आपत्ति पर गौर किए बिना ही दिनांक 16.08.2021 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को बेदखल करने के आदेश पारित किए हैं। उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि आवासीय भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिस पर अपीलान्ट व अन्य व्यक्तियों के आवास व दुकानें बनी हुई है। इसके बावजूद राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा उक्त आवासीय भूमि खसरा नम्बर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर को राजस्व रिकार्ड के नक्शे में गलत स्थान दर्ज व अंकन होने के कारण हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध गलत रिकार्ड प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत ने निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 5.00 हैक्टर को सिवायचक मानकर अ. धारा 91 राज0 भू-राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस दिया है। विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर रायमाता की खातेदारी भूमि है। विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि धारा 91 राज0 भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही उसी स्थिति में की जा सकती है जबकि भूमि सरकार की हो अथवा चारागाह, बंजड़, जोहड़ नदी नाले की भूमि हो। विवादित भूमि खातेदारी की भूमि होने के कारण प्रकरण में अ. धारा 91 भू-राजस्व के तहत कार्यवाही की गई है। जो विधि विरुद्ध है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय दिनांक 16.08.2021 में राज्य सरकार के परिपत्र संख्या क्रमांक प. 03 (2) राज-6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 को आधार मानकर अपीलान्ट को अतिक्रमी माना है। जबकि अपीलान्ट के कब्जेशुदा भूमि खसरा नम्बर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर आवासीय भूमि है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ



न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ का निर्णय दिनांक 16.08.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:- हल्का पटवारी राजस्व ग्राम गांगियासर ने झुटे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 5 हैक्टर भूमि किरम मूर्तिमन्दिर रायमाता पर 100 मीटर भूमि पर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण करने की झुठी रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलान्त को अतिक्रमी मानकर अधारा 91 राज0 भू-राजस्व के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलान्त द्वारा पेश जबाब में यह स्पष्ट किया कि अपीलान्त का विवादित भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 5 हैक्टर पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। वरन अपीलान्त का खोखा ग्राम गांगियासर कि आवासीय भूमि खसरा नम्बर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर पर अवस्थित है। अपीलान्त ने उक्त खोखा 1995 से पूर्व का मौके पर रखा हुआ है। चूंकि भूमि खसरा नम्बर 399/943 का रकबा 0.81 हैक्टर भूमि का राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से दर्ज होने के कारण अपीलान्त के विरुद्ध हल्का पटवारी ने गलत रूप से झुठी रिपोर्ट पेश की। जिस पर अपीलान्त ने एक प्रार्थना पत्र अ. आदेश 7 नियम 11 जा. दी. व धारा 151 जा. दी. का प्रस्तुत कर यह आपत्ति ली कि भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 5.00 हैक्टर भूमि किरम मूर्तिमन्दिर रायमाता सिवायचक के रूप में दर्ज होने के कारण अदालत मातहत को इस प्रकरण को सुनने का अधिकार नहीं है। अदालत मातहत ने अपीलान्त द्वारा उठाई गई कानूनी आपत्ति पर गौर किए बिना ही दिनांक 16.08.2021 को निर्णय पारित कर अपीलान्त को बेदखल करने के आदेश पारित किए हैं। उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि आवासीय भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिस पर अपीलान्त व अन्य व्यक्तियों के आवास व दुकानें बनी हुई है। इसके बावजूद राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा उक्त आवासीय भूमि खसरा नम्बर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर को राजस्व रिकार्ड के नक्शे में गलत स्थान दर्ज व अंकन होने के कारण हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध गलत रिकार्ड प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत ने निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने उक्त

जा. दी. व धारा 151 जा. दी.  
अ. आदेश 7 नियम 11 जा. दी.  
का प्रस्तुत कर यह आपत्ति ली कि भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 5.00 हैक्टर भूमि किरम मूर्तिमन्दिर रायमाता सिवायचक के रूप में दर्ज होने के कारण अदालत मातहत को इस प्रकरण को सुनने का अधिकार नहीं है। अदालत मातहत ने अपीलान्त द्वारा उठाई गई कानूनी आपत्ति पर गौर किए बिना ही दिनांक 16.08.2021 को निर्णय पारित कर अपीलान्त को बेदखल करने के आदेश पारित किए हैं। उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि आवासीय भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिस पर अपीलान्त व अन्य व्यक्तियों के आवास व दुकानें बनी हुई है। इसके बावजूद राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा उक्त आवासीय भूमि खसरा नम्बर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर को राजस्व रिकार्ड के नक्शे में गलत स्थान दर्ज व अंकन होने के कारण हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध गलत रिकार्ड प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत ने निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने उक्त

विवादित भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 5.00 हैक्टर को सिवायचक मानकर अ. धारा 91 राज0 भू-राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस दिया है। विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर रायमाता की खातेदारी भूमि है। विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि धारा 91 राज0 भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही उसी स्थिति में की जा सकती है जबकि भूमि सरकार की हो अथवा चारागाह, बंजड़, जोहड़ नदी नाले की भूमि हो। विवादित भूमि खातेदारी की भूमि होने के कारण प्रकरण में अ. धारा 91 भू-राजस्व के तहत कार्यवाही की गई है, जो विधि विरुद्ध है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय दिनांक 16.08.2021 में राज्य सरकार के परिपत्र संख्या क्रमांक प. 03 (2) राज-6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 को आधार मानकर अपीलान्त को अतिक्रमी माना है। जबकि अपीलान्त के कब्जेशुदा भूमि खसरा नम्बर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर आवासीय भूमि है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ का निर्णय दिनांक 16.08.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ ने अपीलांत द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 399 रकबा 5.00 हैक्टर गैर मु0 बणी ,अवैध रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांत को धारा 91 एल0आर0एक्ट का नोटिस जारी किया गया है जिसकी विधिवत तामील के बाद अपीलांत द्वारा अदालत मातहत में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे विवादित भूमि पर अपीलांत का कब्जा वैध साबित होता हो। जहां तक विद्वान अधिवक्ता अपीलांत का यह कथन कि विवादित भूमि आबादी भूमि है और जिला कलक्टर द्वारा आबादी विस्तार हेतु यह भूमि आवंटित की गई थी। अपीलांत आबादी भूमि में आबाद हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांत को सुना जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांत सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्ता रैस्पोंडेंट नंबर-2 भी राजकीय अधिवक्ता के कथनों से सहमति प्रकट करते हुये कहा कि अपीलांत द्वारा उक्त पट्टों की आड़ में भूमि खसरा नंबर 399 में अतिक्रमण

21/11  
अति. जिला कलक्टर  
मुंबई

(4)

किया है, जो मूर्ति मंदिर राय माता के नाम दर्ज रिकार्ड है। अगर अपीलांट को राजस्व रिकार्ड नक्शों आदि से कोई आपत्ति है और नक्शे गलत लग रहे हैं तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिए स्वतंत्र हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर विधिसम्मत कार्यवाही की गई है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अपीलांट के विरुद्ध यह रिपोर्ट की गई है कि उसने भूमि खसरा नंबर 399 रकबा 5.00 हैक्टर के भाग पर अवैध कब्जा किया है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है। मूर्ति मंदिर व गैर मु० चारागाह की भूमि की रक्षा करने का दायित्व तहसीलदार का बनता है। पटवारी हल्का की अतिक्रमण की रिपोर्ट को गलत मानने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है। जहां तक अपीलांट का यह कथन कि वे आबादी भूमि में काबिज हैं, नक्शा सीट गलत बनी हुई है। इस संदर्भ में अपीलांट नियमानुसार नक्शा सीट दुरुस्त करवाने व सीमाज्ञान करवाने के लिए प्रक्रिया कर सकता था, जो आज तक उसके द्वारा नहीं की गई है। इस स्तर पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, नक्शा को सही होना माना जायेगा और पटवारी हल्का ने वर्तमान राजस्व रिकार्ड के मुताबिक ही अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन कि मंदिर की खातेदारी भूमि पर धारा 91 एल. आर.एक्ट की कार्यवाही नहीं की जा सकती। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प० 3 (2) राज-6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के अनुसार मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति में पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरुद्ध राजकीय भूमि की तरह अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किये गये हैं। कानून से चारागाह की भूमि व मूर्ति मंदिर जो कि शाश्वत नाबालिग होता है कि खातेदारी की भूमि पर किसी को अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ के उक्त निर्णय में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती। ऐसी सूरत में अदालत मातहत के निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

117  
अति. जिला कलेक्टर  
मुम्बई

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2021 उनवानी सरकार बनाम मुमताज खां मु0 नं0 47/2021 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ़तर हो।

29.9.2021  
(जगदीश प्रसाद गौड़)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
झुंझुनू।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.9.2021  
(जगदीश प्रसाद गौड़)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
झुंझुनू।